राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 11] ग्यारहवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का पहला दिवस [संख्या : 1

गुरुवार;

21 अगस्त, 2003

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

राष्ट्रीय-गीत

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।
शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी।
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्, वन्दे मारतम्।

अनुपस्थिति के लिए अनुमति

श्री चन्दनमल बैद, सदस्य को दिनांक 21.8.2003 से सत्रान्त तक

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री चन्दनमल बैद, सदस्य, विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 21 अगस्त, 2003 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि इन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

सचिव, विधान सभा।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अनुमति प्राप्त विधेयक

सचिव, राजस्थान विधान सभा (श्री महेश सिंह तंवर) : महोदय, मैं उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है:

(अ) राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक-

(1) राजस्थान किराया नियंत्रण विधेयक, 2001

(ब) राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक-

(1) राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2001

(2) राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली)(संशोधन) विधेयक, 2001

(श्री महेश सिंह तंवर)

(3) राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2003

(4) राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2003

(5) राजस्थान वित्त विधेयक, 2003

(6) राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2003

(7) राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2003

(8) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2003

(9) राजस्थ्ज्ञान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2003

(10) राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2003

(11) बीकानेर विश्वविद्यालय विधेयक, 2003

(12) कोटा विश्वविद्यालय विधेयक, 2003

(13) राजस्थान मूल्य परिवर्धित विक्रय कर विधेयक, 2003

संदेश

संविधान (95वां संशोधन) विधेयक, 2003 के अनुसमर्थन हेतु राज्य सभा से प्राप्त संदेश

महोदय, मैं, प्रक्रिया के नियम 188का का (2) के अन्तर्गत संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (95वां संशोधन) विधेयक, 2003 का अनुसमर्थन करवाने सम्बन्धी राज्य सभा द्वारा भेजे गये संदेश की सूचना देता हूं, जो निम्नप्रकार है:

From

Dr. Yogendra Narain,
Secretary-General., Rajya Sabha.

To

The Secretary,
Rajasthan Vidhan Sabha,
Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur.

Subject: The Constitution (Ninety-fifth Amendment) Bill, 2003 ratification of.

Sir,

I am directed to state that the Constitution (Ninety-fifth Amendment) Bill, 2003 has been passed by the House of the People on the 6th May, 2003 and by the Council of States on the 8th May,

(श्री महेश सिंह तंवर)

2003, A copy of the Bill, as introduced in the House of the People and a copy of the Bill, as passed by the Houses of Parliament, are sent herewith.

2. As the Bill contains amendment which attracts the provisons of clause (c) of the proviso to clause (2) of Article 368 of the Constitution, the amendment requires to be ratified by the Legislatures of not less than one half of the States by a resolution to that effect passed by those Legislatures before the Bill is presented to the President for his assent.

3. I am, accordingly, to request that a resolution ratifying the amendment may be placed before the State Legislative Assembly, as early as possible, and the result thereof be communicated to this Secretariat.

4. It is suggested that the proposed resolution may be on the follwing lines :-

"That this House ratifies the amendents to the Constitution of India falling within the purview of clause (c) of the proviso to clause (2) of Artiele 368, proposed to be made by the Constitution (Ninety-fifth Amendment) Bill, 2003, as passed by both the Houses of Parliament."

5. The receipt of this letter may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

Sd./-

(YOGENDRA NARAIN)

महोदय, मैं, राज्य सभा से प्राप्त संदेश भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : अध्यादेश। श्री बुलाकीदास कल्ला, शिक्षा मंत्री।

अध्यादेश

राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2003

डा. बी. डी. कल्ला (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (वर्ष 2003 का अध्यादेश संख्या-2) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान, उद्योग मंत्री।

राजस्थान विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास अध्यादेश, 2003

डा. चन्द्रभान (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास अध्यादेश, 2003 (वर्ष 2003 का अध्यादेश संख्या-3) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक। डा. (श्रीमती) कमला।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, 2003

डा. (श्रीमती) कमला (उप मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक, को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

डा. (श्रीमती) कमला : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई, प्रभारी मंत्री।

राजस्थान भाण्डागार (संशोधन) विधेयक, 2003

श्री रामसिंह विश्नोई (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भाण्डागार (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भाण्डागार (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भाण्डागार (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करता हूं।

शोकाभिव्यक्ति

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति।

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए इस विधान सभा के सदस्य श्री रूपलाल मीणा तथा पूर्व सदस्य श्री चुन्नीलाल इंदलिया, श्री चतुर्भुज वर्मा, श्री नन्दकिशोर शर्मा, श्री देवदत्त तिवाड़ी, श्री हाजी चाव खां, श्री दाताराम, श्री उदाराम

(श्री अध्यक्ष)

हटीला और श्री तेजाराम गहलोत के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

विधायक श्री रूपलाल मीणा का जन्म 10 मई, 1958 को उदयपुर जिले की सलूम्बर तहसील के कडूणी गांव में हुआ। आपने बी.ए. द्वितीय वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की।

वर्तमान ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा के लिए आप सलूम्बर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति तथा प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के सदस्य रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में आप लगभग 16 वर्ष तक इंटक कांग्रेस के सदस्य रहे। श्री मीणा अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए निरन्तन प्रयत्नशील रहे। आप अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण तथा समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए भी प्रयत्नशील रहे।

श्री रूपलाल मीणा का दिनांक 8 अगस्त, 2003 को एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री चुन्नीलाल इंदलिया का जन्म 15 नवम्बर, 1929 को बीकानेर जिले की नोखा तहसील के बाधनूं ग्राम में हुआ। आपने प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री चुन्नीलाल इदंलिया चौथी, पांचवीं, आठवीं और नवीं राजस्थान विधान सभा में नोखा निर्वाचन क्षेत्र से क्रमशः निर्दलीय, कांग्रेस, लोकदल तथा जनता दल के विधायक रहे। श्री इंदलिया विधान सभा के कार्यकाल के दौरान प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति, नियम समिति तथा सिंचाई, विधि एवं न्याय विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति तथा राजस्व एवं भूमि सुधार, उपनिवेशन व जनजाति क्षेत्रीय विकास विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

श्री इंदलिया अपने सार्वजनिक जीवन में नोखा पंचायत समिति के सदस्य रहे। आप वर्ष 1975 में गठित इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आबंटन सम्बन्धी समिति के सदस्य भी रहे। श्री इंदलिया का ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली एवं पेयजल उपलब्ध करवाने के अलावा स्कूल व औषधालय खुलवाने में भी काफी योगदान रहा।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया का दिनांक 30 जून, 2003 को निधन हो गया।

पूर्व सांसद एवं विधायक श्री चतुर्भुज वर्मा का जन्म 15 सितम्बर, 1933 को

(श्री अध्यक्ष)

कोटा जिले की अटरू तहसील के ग्राम अन्ताना में हुआ। आपने बी.ए. एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री वर्मा नवीं राजस्थान विधान सभा (1990–92) के लिए खानपुर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। इससे पूर्व आप छठी तथा सातवीं लोक सभा में झालावाड़ संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप राजस्थान सरकार में सहकारिता विभाग के मंत्री रहे। आप सहकारिता और समाज कल्याण विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सभापति भी रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में आप ग्राम पंचायत, अन्ताना में सरपंच, पंचायत समिति, अटरू के प्रधान, केन्द्रीय सहकारी बैंक, कोटा के डिप्टी चेयरमैन और डाइरेक्टर तथा भूमि विकास बैंक, बारां के चेयरमैन रहे। अखिल भारतीय किसान कल्याण संघ के सदस्य रहे श्री वर्मा की कृषि ज्ञान के प्रसार में विशेष रुचि थी।

श्री चतुर्भुज वर्मा का दिनांक 14 मई, 2003 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री नन्दकिशोर शर्मा का जन्म 4 जून, 1939 को हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री नन्दकिशोर शर्मा नवीं राजस्थान विधान सभा (1990–92) के लिए जून, 1990 में हुए उप चुनावों में छबड़ा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के सदस्य रहे। आप ऊर्जा एवं ऊर्जा के वैकल्पिक साधन, श्रम एवं नियोजन विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में आप 15 वर्ष ग्राम पंचायत भूलोन के सरपंच, पंचायत समिति, छबड़ा के प्रधान तथा कोटा के उप जिला प्रमुख रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री शर्मा अनुसूचित जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

श्री नन्दकिशोर श र्मा का दिनांक 22 जुलाई, 2003 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री देवदत्त तिवाड़ी का जन्म 3 अगस्त, 1918 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के टकसपुर ग्राम में हुआ। आपने बी.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री देवदत्त तिवाड़ी सातवीं राजस्थान विधान सभा (1980–85) के लिए बाड़मेर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (आई) के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप राजकीय उपक्रम समिति के सदस्य रहे। आप यातायात, आवासन, रोजगार एवं प्राविधिक

(श्री अध्यक्ष)

शिक्षा विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे।

कांग्रेस कमेटी के मंत्री तथा अध्यक्ष रहे श्री तिवाड़ी अपने सार्वजनिक जीवन में बाड़मेर के जिला विकास अभिकरण में सूखा सम्भाव्य क्षेत्र परियोजना क्रियान्वयन समिति के सदस्य रहे। आप राजस्थान मरु विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के संचालक मण्डल के सदस्य तथा बाड़मेर जिला कारागार में बन्दियों को समय से पूर्व छोड़े जाने के लिए गठित सलाहकार मण्डल के सदस्य भी रहे।

श्री देवदत्त तिवाड़ी का दिनांक 18 जुलाई, 2003 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री हाजीचाव खां का जन्म वर्ष 1917 में भरतपुर जिले की पहाड़ी तहसील के गाजूका ग्राम में हुआ। आपने मिडल तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री हाजीचाव खां सातवीं राजस्थान विधान सभा (1980-85) के लिए कामां निर्वाचन क्षेत्र के लोकदल के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप गृह समिति के सदस्य रहे। आप स्वायत शासन, नगर आयोजन तथा जन सम्पर्क विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे।

जन सेवा में रुचि रखने वाले श्री चाव खां लगभग 12 वर्ष ग्राम पंचायत, गाजूका के सरपंच तथा पंचायत समिति, कामां के उप प्रधान रहे।

श्री हाजीचाव खां का दिनांक 31 जुलाई, 2003 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री दाताराम का जन्म वर्ष 1933 में आगरा में घनौली ग्राम में हुआ। आपने पांचवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री दाताराम छठी राजस्थान विधान सभा (1977-80) के लिए दिसम्बर, 1978 में हुए उप चुनावों में रूपवास निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जाति कल्याण समिति के सदस्य रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री दाताराम अपने क्षेत्र के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

श्री दाताराम का दिनांक 21 जुलाई, 2003 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री उदाराम हटीला का जन्म 18 अक्टूबर, 1918 को हुआ। आपने तत्कालीन ईसाई मिशनरी स्कूल, चौतीना कुआं, बीकानेर में शिक्षा ग्रहण की।

श्री उदाराम हटीला छठी राजस्थान विधान सभा (1977-80) के लिए नोखा निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जाति कल्याण समिति के सदस्य रहे।

श्री हटीला वर्ष 1942 में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद् के सदस्य बने। आप दो बार नगर परिषद्, बीकानेर के सदस्य भी रहे। स्वतंत्र पार्टी से सक्रिय रूप से

(श्री अध्यक्ष)

सम्बद्ध रहे श्री हटीला पार्टी के बीकानेर जिले के अध्यक्ष तथा राजस्थान प्रांत के अध्यक्ष भी रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में आप अनेक संस्थाओं से जुड़े रहे और उनके रचनात्मक कार्यों में सहयोग किया। राजस्थान नहर क्षेत्र के भूमिहीन लोगों को भूमि दिलाने के लिए भी आपने सक्रिय रूप से कार्य किया।

श्री उदाराम हटीला का दिनांक 12 अगस्त, 2003 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री तेजाराम गहलोत का जन्म 1 जनवरी, 1925 को जोधपुर जिले के भावी ग्राम में हुआ। आपने बी.काम, व एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं। श्री तेजाराम गहलोत दूसरी तथा तीसरी राजस्थान विधान सभा में सोजत निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति तथा याचिका समिति के सदस्य रहे। आप अनेक प्रवर समितियों के भी सदस्य रहे।

श्री गहलोत अपने सार्वजनिक जीवन में राजस्थान ग्रामीण जल बोर्ड जिला पाली के सदस्य, मण्डलीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति, अजमेर मण्डल तथा पश्चिम रेलवे, बम्बई के सदस्य रहे। आप भूमि सुधार तथा सिंचाई सम्बन्धी परामर्शदात्री समितियों के सदस्य भी रहे। श्री गहलोत लगभग 7 वर्ष पाली जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी के सदस्य रहे। राजनीति में आने से पूर्व आप राजकीय सेवा के दौरान पुलिस विभाग में सेवारत रहे।

श्री तेजाराम गहलोत का दिनांक 18 मई, 2003 को निधन हो गया।

मैं, दिवंगत व्यक्तियों को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक-संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(सदन के माननीय सदस्यगण ने दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की)

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 22 अगस्त, 2003 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.22 बजे शुक्रवार, दिनांक 22 अगस्त, 2003 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)